न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम, जहानाबाद

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–603/2026

राकेश कुमार बनाम सरकार।

25.05.2026 आवेदक **राकेश कुमार** की ओर से यह वर्तमान अग्रिम जमानत दाखिल किया गया है, जिन्हें **जहानाबाद थाना कांड सं0–880/2025,** अंतर्गत **धारा–105(2), 281(2), 3(5) भा0न्या0सं0** में गिरफ्तारी की आशंका है, उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सुजीत कुमार तथा सरकार की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

अभियोजन मामले का संक्षेप में कथन है कि सूचक का पोता दिनांक–28.08.2025 को समय करीब 07:50 बजे सुवह बस निबंधन सं0–BR01PA-7143 से पढ़ने अपने स्कूल जा रहा था। स्कूल बस के अंदर बस का पिछला चक्का के उपर बस का बॉडी चेचिस में करीब 02 फीट का गोलाई आकार में बहुत बड़ा छेद था। जिसे बोरा से ढंका गया था। बस के चालक राकेश कुमार के द्वारा उसी सीट पर सूचक का पोता पियुष कुमार उर्फ चिकु कमार को बैठाकर तेजी व लापरवाही से अपने बस को चला कर सिकरिया मिल्की मोड़ पानी टंकी के पास अचानक अपने बस में ब्रेक लगा दिया जिसके कारण सूचक का पोता पियुष कुमार उर्फ चिकु कुमार अचानक सीट से लड़खड़ा कर बस के टूटे हुए बड़ा छेद में गिर गया और बस के पिछले चक्का से कुचल कर बुरी तरह जख्मी हो कर घटनास्थल पर ही सूचक का पोता का मृत्यु हो गया तथा चालक बस को छोड़कर भाग गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक के द्वारा पूर्व में कोई भी नियमित अथवा अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में दाखिल किया गया है और न ही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया है और न ही लंबित है। आवेदक का पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष हैं और उन्हें झूठे आधार पर इस कांड में फंसाया गया है।.. वास्तव में आवेदक द्वारा कथित तौर पर घटित ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, बल्कि संदेह के आधार पर आवेदक के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गये हैं, जबकि आवेदक ने घटना वाले दिन उपरोक्त बस नहीं चलाई थी। आवेदक के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं है आरोप सामान्य और अस्पष्ट है आवेदक गरीब आदमी है। आवेदक न्यायालय के शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हैं। आवेदकगण साधन–संपन्न व्यक्ति हैं तथा उचित बंधपत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

सरकार की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया है।

उभयपक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेखक के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त राकेश कुमार बस निबंधन सं0–BR01PA-7143 के

Web Copy

वाहन चालक है। बस के चालक राकेश कुमार के द्वारा बस के तेजी एवं लापरवाही से

लगातार
25.05.2026

चलाने एवं ब्रेक लगाने के कारण सूचक का पोता पियुष कुमार उर्फ चिकु कुमार की बस से गिरकर मृत्यु हो गयी है। वाद के कांड दैनिकी के पैरा–5, 6 में वादी एवं साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। यह अपराध गंभीर प्रकृति का है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आवेदक **राकेश कुमार** के द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन एतद्द्वारा **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम
जहानाबाद

ज्ञापांक–.................... दिनांक–..........................

प्रतिलिपिः–आदेश की एक प्रतिलिपि मु0 न्यायिक दण्डाधिकारी, जहानाबाद के न्यायालय में सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम
जहानाबाद

Web copy